


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271302
CG-DL-E-27032026-271302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2026/चैत्र 5, 1948

No. 197]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2026/CHAITRA 5, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 02/2026 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2026 है।
- (2) ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु इस नियम में निहित कोई भी बात मोटर स्परिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई-स्पीड डीजल ऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन उत्पादों के जिनका निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किया जाता है।"

3. उक्त नियम में, नियम 19 में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु इस नियम में निहित कोई भी बात मोटर स्परिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई-स्पीड डीजल तेल और विमानन टरबाइन ईंधन पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन उत्पादों के जिनका निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किया जाता है।"

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 02/2026-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 203(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Central Excise Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 18, before the explanation the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing contained in this rule shall apply to Motor spirit, commonly known as petrol, High-speed diesel oil and Aviation Turbine Fuel, other than those exported by Public Sector Oil Companies to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka."

3. In the said Rules, in rule 19, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing contained in this rule shall apply to Motor spirit, commonly known as petrol, High-speed diesel oil and Aviation Turbine Fuel, other than those exported by Public Sector Oil Companies to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka."

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 05/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 204(अ)—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 (20 ऑफ 2002) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में क्रमांक जी.एस.आर. 488(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

I. सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, स्तंभ (4) में, "3 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रमांक 2 के सामने, स्तंभ (4) में, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

II. सारणी के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निर्यात के लिए स्वीकृत माल पर लागू नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी— मूल अधिसूचना सं. 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 488(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 02/2025-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 7 अप्रैल, 2025 द्वारा, सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के माध्यम से किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 05/2026-Central Excise

G.S.R. 204(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification,

I. in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, in column (4), for the entry, the entry "Rs. 3 per litre" shall be substituted;
- (ii) against Sl. No. 2, in column (4), for the entry, the entry "Nil" shall be substituted.

II. after the Table, the following shall be inserted, namely: -

"2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export."

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

. Note. - The principal notification No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number 488(E), dated the 6th July, 2019 and last amended vide notification No. 02/2025-Central Excise, dated the 7th April, 2025, vide number G.S.R. 220 (E), dated 7th April, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 205(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1 ऑफ 1944) की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 (20 ऑफ 2002) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट विवरण वाली और उक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप-शीर्ष या शुल्क मद के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को, जैसा कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147 के तहत उन पर लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से उतनी राशि से छूट देती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर परिकलित राशि से अधिक है, अर्थात्: -

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्प्रीट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	शून्य
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	18.5 रुपया प्रति लीटर

2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

क. निर्यात हेतु माल के अलावा कोई अन्य माल;

ख. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात करने हेतु।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 06/2026-Central Excise

G.S.R. 205(E)—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in Column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Excise Act, as specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table, from so much of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in Column (4) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Chapter or heading or subheading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	Motor spirit, commonly known as petrol.	Nil
2.	2710	High speed diesel oil.	Rs. 18.5 per litre

2. Nothing contained in this notification shall apply to :-
 - a. any goods other than the goods cleared for export;
 - b. exports by Public Sector Oil Companies to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka;
3. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 07/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 206(अ).— जबकि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के धारा 3ख के प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्ष 2710 के अंतर्गत आने वाले विमानन टरबाइन ईंधन पर वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाना आवश्यक है, और ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

अतः, वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाए, अर्थात्: -

वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में, मद संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद क्रमांक और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
“3.	एविएशन टर्बाइन फ्यूल	50 रुपए प्रति लीटर”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 07/2026-Central Excise

G.S.R. 206(E)—WHEREAS, in exercise of powers under Section 3B of Central Excise Act 1944 (1 of 1944), the Central Government is satisfied that the Special Additional Excise Duty be levied under section 147 of the Finance Act, 2002 (No. 20 of 2002) on Aviation Turbine Fuel falling under heading 2710 of the Fourth Schedule to the Central Excise Act 1944 (1 of 1944), and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in pursuance of section 147 of the Finance Act, 2002, the Central Government, hereby directs that the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, shall be amended in the following manner, namely: -

In the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002, after Item No. 2 and the entries relating thereto, the following Item S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“3.	Aviation Turbine Fuel	Rs. 50 per Litre”

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 08/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 207(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट विवरण की उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को, जो उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उप-शीर्ष या शुल्क मद के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के तहत उन पर लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से उतनी राशि से छूट देती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर परिकल्पित राशि से अधिक है-

क्रमांक	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या शुल्क मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	विमानन टरबाइन ईंधन	29.5 रुपये प्रति लीटर

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 8/2026-Central Excise

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below, and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Central Excise Act as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	Aviation Turbine Fuel	Rs. 29.5 per Litre

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 09/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 208(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्ष 2710 के अंतर्गत आने वाले विमानन टरबाइन ईंधन को वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात किए जाने वाले माल को छोड़कर अन्य निर्यात के लिए स्वीकृत माल पर लागू नहीं होगी।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 9/2026-Central Excise

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Aviation Turbine Fuel, falling under the Heading 2710 of the Fourth Schedule of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002).

2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export, other than exports by Public Sector Oil Companies to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka.

3. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 10/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 209(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के साथ पढा जाए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित संपूर्ण शुल्कों से छूट देती है, जब ऐसी वस्तुओं को निर्यात के लिए मंजूरी दी जाती है या विदेशी विमानों को ईंधन के रूप में आपूर्ति की जाती है।

सारणी

क्रम संख्या	मद का विवरण	विनिर्दिष्ट शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	(i) मोटर स्प्रीट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। (ii) हाई स्पीड डीजल	(i) मूल उत्पाद शुल्क (ii) कृषि अवसंरचना विकास उपकर
2.	एविएशन टर्बाइन फ्यूल	मूल उत्पाद शुल्क

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, -

(i) “कृषि अवसंरचना विकास उपकर” से तात्पर्य वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के तहत लगाए गए उपकर से है;

(ii) “मूल उत्पाद शुल्क” से तात्पर्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के तहत लगाए गए शुल्क से है;

(iii) “निर्यात”, अपने व्याकरणिक रूपों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, से तात्पर्य भारत से बाहर किसी स्थान पर माल ले जाने से है;

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 10/2026-Central Excise

G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018) and section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of description falling under Column (2) of the Table below from the whole of duties in Column (3) of the said Table when such goods are cleared for exports or supplied as fuel to foreign going aircraft.

TABLE

S. No.	Description of Item	Specified Duty
(1)	(2)	(3)
1.	(i) Motor Spirit commonly known as Petrol (ii) High Speed Diesel	(i) Basic Excise Duty (ii) Agriculture Infrastructure and Development Cess
2.	Aviation Turbine Fuel	Basic Excise Duty

Explanation: For the purpose of this notification, -

(i) "Agriculture Infrastructure and Development Cess" means the cess levied under section 125 of the Finance Act, 2021 (3 of 2021);

(ii) "Basic Excise Duty" means the duty levied under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(iii) "Export", with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India;

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 11/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 210(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट विवरण वाली और उक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप-शीर्ष या शुल्क मद के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट अनुसार, उक्त वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 112 के तहत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से उतनी राशि से छूट देती है, जो उक्त तालिका के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर परिकलित राशि से अधिक है, अर्थात्: -

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्पिरिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	शून्य
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	3 रुपया प्रति लीटर

- इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:
 - निर्यात के लिए स्वीकृत माल के अलावा कोई अन्य माल;
 - सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात।
- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 11/2026-Central Excise

G.S.R. 210(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the additional duty of excise leviable thereon under section 112, read with the Sixth Schedule to the said Finance Act, 2018, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:

TABLE

S.No.	Chapter or heading or subheading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	Motor spirit, commonly known as petrol.	Nil
2.	2710	High speed diesel oil.	Rs. 3 per litre

2. Nothing contained in this notification shall apply to :-
- any goods other than the goods cleared for export;
 - exports by Public Sector Oil Companies to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka;
3. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 12/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 211(अ).— वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (इसके बाद उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसलिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 6 मार्च, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में क्रमांक जी.एस.आर. 487 (अ), दिनांक 6 मार्च, 2019 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निर्यात के लिए माल पर लागू नहीं होगी सिवाय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात हेतु।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 12/2026-Central Excise

G.S.R. 211(E).—In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide number G.S.R. 487 (E), dated the 6th March, 2019, namely:-

In the said notification, after the Table, the following shall be inserted, namely: -

“2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export other than exports by Public Sector Oil Companies to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka”

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 13/2026- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 212(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क तथा वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 20) की धारा 147 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 18/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को, उन कार्यों के संबंध में जिन्हें ऐसे निरसन से पूर्व किया गया है या किए जाने से रह गए हैं, को छोड़कर, निरस्त करती है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 13/2026- Central Excise

G.S.R. 212(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2022 (20 of 2022), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 18/2022- Central Excise, dated the 19th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584(E), dated the 19th July, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2026

सं. 07/2026- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 213(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट विवरण की वस्तुओं को, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि स्तंभ (2) में निर्दिष्ट है, भारत में आयात किए जाने पर, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क से पूर्ण रूप से छूट देती है, जो वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत उन पर लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के समतुल्य है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या शुल्क मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2710	विमानन टरबाइन ईंधन

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]
धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2026

No. 07/2026-Customs

G.S.R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as specified in column (2), when imported into India, from whole of the additional duty of Customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Customs Tariff Act, as is equivalent to the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 of the Finance Act, 2002:

Table

S. No.	Heading	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2710	Aviation Turbine Fuel

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th March, 2026

Corrigendum

G.S.R...(E).-In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E) dated the 26th March, 2026, at Page 5, -

in line 17, in column (4), *for* '18.5', *read* '12'.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

(Dheeraj Sharma)
Under Secretary to the Government of India

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th March, 2026

Corrigendum

G.S.R...(E).-In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210 (E) dated the 26th March, 2026, at Page 11, -

in line 31, in column (4), *for* '3', *read* '9.5'.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

(Dheeraj Sharma)
Under Secretary to the Government of India